प्रेस नोट

दिनांक 11.04.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा ईद-उल-फितर के अवसर पर नमाज़ को सकुशल संपन्न कराने तथा शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत शहर क्षेत्र में लगातार भ्रमण शील रहकर लिया गया स्थिति का जायजा व ड्यूटीरत पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

गोण्डा। आज दिनांक 11.04.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत व पर्याप्त पुलिस बल के साथ ईद-उल-फितर त्योहार के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु शहर क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील/पैदल गस्त कर नमाज़ को शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सकुशल संपन्न गया गया।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद शहर क्षेत्र के विभिन्न मस्जिदो/इदगाहों आदि स्थानों पर पैदल गश्त/भ्रमण कर धर्मगुरूओं, नमाजियों, आमजन एवं राहगीरों से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया और आपसी भाई-चारा के साथ सौहार्दपूर्ण त्योहारों को मनाने की अपील की गयी। पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा थाना क्षेत्रों में पड़ने वाली मस्जिदों व ईदगाहों पर पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगाकर ईद की नमाज़ को सकुशल सम्पन्न कराया गया तथा ड्यूटी पर लगे समस्त पुलिस के अधिकारी/कर्मचारीगण को निर्देशित किया गया की ड्यूटी पर सतर्क दृष्टि रखते हुए ईद की त्योहार को शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न करायी जाए। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारीगण को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल का समुचित व्यवस्थापन, डॉग स्कॉयड, स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा नजर रखी जा रही है, सादे वस्त्रों में भी पुलिसकर्मी एवं महिला पुलिस की संयुक्त टीमों को लगाया गया है। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों, जुलूस के मार्गो पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं ड्रोन कैमरा से निगरानी रखी जा रही है। साथ ही साथ सभी से अनुरोध किया गया कि किसी भी प्रकार के आपसी सौहार्द खराब करने वाले वीडियो पोस्ट/शेयर करने से बचे, सोशल मीडिया मानिटरिंग सेन्टर की स्पेशल टीम द्वारा लगातार सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म (ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप आदि) की निगरानी की जा रही है। किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट/शेयर करने वालों के विरुद्ध गोंडा पुलिस द्वारा कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक को0नगर सहित पर्याप्त संख्या में पुलिस बल के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 11.04.2024

थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार.–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना मनकापुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0–20/24, धारा 363,366,376(3),504,506 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सुजीत उर्फ सुरजीत को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 28.02.2024 को थाना खोड़ारे क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना खोड़ारे में लिखित तहरीर दी गयी की उनकी लड़की को विपक्षी सुजीत उर्फ सुरजीत द्वारा बहला–फुसला का भगा ले गया है। वादी की तहरीर पर थाना खोड़ारे में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना उ0नि0 अभिषेक वर्मा को सुपुर्द की गयी थी। जिसमें आज दिनांक 11.04.2024 को थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्त सुजीत उर्फ सुरजीत को बभनान टैक्सी स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. सुजीत उर्फ सुरजीत पुत्र विष्णु नि0 ग्राम बरहपुर थाना हरैया जनपद बस्ती।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–20/24, धारा 20/24, धारा 363,366,376(3),504,506 भादवि थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 अभिषेक वर्मा।
02. हे0का0 हरिओम मद्देशिया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 11.04.2024</u>

<u>अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी द्वारा ईद–उल–फितर व लोकसभा चुनाव–2024 को निष्पक्ष, सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने तथा जनता में शांति व सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने के दृष्टिगत अर्धसैनिक बल एवं पुलिस बल के साथ थाना कटराबाजार क्षेत्र के विभिन्न ग्राम/मोहल्लों/कस्बा में किया गया रूट मार्चः–</u>

गोण्डा। जनपद गोण्डा में लोकसभा सामान्य चुनाव 2024 व ईद–उल–फितर त्योहार निष्पक्ष, सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने तथा जनता में शांति व सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय द्वारा आज दिनांक 11.04.2024 को थाना कटराबाजार पुलिस बल व अर्धसैनिक बल के साथ थाना कटराबाजार के विभिन्न ग्रामों/मोहल्लों/कस्बा में रूट मार्च किया गया। रूट मार्च के दौरान ईद–उल–फितर त्योहार को शान्तिपूर्ण वातावरण में सकुशल सम्पन्न कराने व लोकसभा सामान्य चुनाव–2024 के दौरान आमजन को स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान करने, अवांछनीय व आपराधिक तत्व के व्यक्तियों में भय व्याप्त करने हेतु एरिया डॉमिनेशन किया गया। लोकसभा चुनाव में लोगों को कानून व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग करने तथा आमजन को भयमुक्त व निडर होकर मतदान करने की अपील की गई तथा सभी को चुनावो में बढ–चढकर मतदान करने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 11.04.2024</u>

थाना परसपुर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 50.77 ग्राम स्मैक व परिवहन में प्रयुक्त 01 अदद आपाची मोटरसाईकिल व 91,000/- रू0 नगद बरामद-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा लोकसभा सामान्य चुनाव-2024 व आगामी त्योहारों को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी करनैलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में परसपुर पुलिस द्वारा 02 मादक पदार्थ तस्करों-01. कुलदीप तिवारी, 02. विष्णु सिंह को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 50.77 ग्राम स्मैक व परिवहन में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल व 91,000/- रू0 नगद बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.04.2024 को थाना परसपुर के उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह मय हमराह फोर्स के साथ रात्रि गस्त में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि किशोरी होटल के पास से 02 मादक पदार्थ तस्करो-01. कुलदीप तिवारी, 02. विष्णु सिंह को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 50.77 ग्राम स्मैक, 91,000/- रू0 नगद व परिवहन में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद की गयी। बरामद रूपयों के बारे में कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि यह रूपये हमलोगो द्वारा स्मैक बेच कर कमाया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना परसपुर में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. कुलदीप तिवारी पुत्र रामभवन तिवारी नि0 ग्राम करनीपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
02. विष्णु सिंह पुत्र रमाशंकर सिंह नि0 ग्राम दत्तनगर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-139/2024, धारा 8/22 एनडीपीएस ऐक्ट व 207 एम0बी0 ऐक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

अभियुक्त कुलदीप का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0-29/2015, धारा 323,504 भादवि व 3(1)(10) एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-74/2016, धारा 147,332,336,353,504 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

03. मु0अ0सं0–161/2018, धारा 323,504,506 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0–295/2018, धारा 323,498ए,504 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
05. मु0अ0सं0–193/2019, धारा 352,504,506 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
06. मु0अ0सं0–142/2020, धारा 147,323,452,504,506 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
07. मु0अ0सं0–175/2020, धारा 147,148,149,188,307,323,325,452 भादवि व 56 आपदा प्रबन्धन अधि0 व 31(ए) क्रिमनल ला ऐक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
08. मु0अ0सं0–192/2020, धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
09. मु0अ0सं0–11/2024, धारा 323,504,506 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

<u>अभियुक्त विष्णु सिंह का आपराधिक इतिहास–</u>

01. मु0अ0सं0–256/2020, धारा 363,366,376डी भादवि व 5/6 पाक्सो ऐक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–501/2022, धारा 379,411,413,457 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0–10/2023, धारा 379,411,413,457 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0–108/2023, धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी–</u>

01. 50.77 ग्राम स्मैक।
02. 91,000/– रू0 नगद
03. 01 अदद आपाची मोटरसाईकिल

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह।
02. हे0का0 वीरेन्द्र मौर्या।
03. हे0का0 राघवेन्द्र शाही।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>